

(206)

विधानसभा क्षेत्र क्रं. 206 इन्दौर 03 के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक महेश जोशी

“पिन्दू”

1. लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करे और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामलें लंबित है:- ★

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करे और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दे और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामले को ब्यौरा दें।)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं	पुलिस थाना एरोडम अपराध क्रं. 176/16	पुलिस थाना बाणगंगा क्रं. 360/17	पुलिस थाना संयोगिता गंज क्रं. 33/13
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं	आशुतोष अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इन्दौर म.प्र.	श्रीमती शरद जोशी J.M.F.C	श्रीमान् सी.जे.एम. महोदय, न्यायालय इन्दौर
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं धारा की सं. दें, (अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता की धारा)	341,352,34	448,147,148,186,427	147,148,149,427,336
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	रास्ता रोकना	प्रतिबंधीत परिसर में प्रवेश	पत्थर बाजी
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	हां	हां	हां
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	06/03/2016	27/12/2017	19/12/2013
(छ)	क्या कार्यवाही के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं	नहीं	नहीं

पुलिस आयुक्त शहर इन्दौर के पत्र क्रमांक/पु.आ./इं/क्राइम/33/1632433 - 2 - ए/2023 दिनांक 13/10/2023 एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक इन्दौर ग्रामीण के पत्र क्रमांक/पुं.अ./इं/ग्रा./जि./वि.शा./चरि./1187-A/2023 दिनांक 18/10/2023 इन्दौर द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार दीपक जोशी पिन्दू पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, उपरोक्त जानकारी मेरे निजी ज्ञान के अनुसार प्रेशित कि गई है।